न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 71/2012

अपीलान्ट्स

1 आशा देवी पुत्री अर्जुन राम
2 पुष्पा देवी पुत्री अर्जुन राम
जातियान ब्राह्मण
निवासीगण रोहिणी
तहसील व जिला नागौर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1 हरखु देवी बेवा अर्जुनराम 2 किशन लाल पुत्र अर्जुन राम 3 मनोज पुत्र अर्जुन राम
4 श्याम लाल पुत्र अर्जुन राम 5 भींया राम पुत्र भंवर लाल 6 जेठमल पुत्र भंवर लाल
7 हीरा लाल पुत्र भंवर लाल 8 गीता देवी पुत्री भंवर लाल 9 सुखी देवी पुत्री भंवर लाल
10 पुष्पा देवी पत्नी आसकरण 11 मांगीलाल पुत्र आसकरण नाबालिग जरिये माता पुष्पा देवी पत्नी आसकरण
12 ताराचंद पुत्र नेनुराम (फौत)
13 सम्पती देवी पुत्री ताराचंद 14 गायत्री देवी पुत्री ताराचंद
15 पुष्पा देवी पुत्री ताराचंद 16 प्रेमरतन पुत्र ताराचंद 17 मुन्नी देवी बेवा जगदीश
18 कुमारी मोनिका पुत्री जगदीश नाबालिग 19 कुमारी मनीषा पुत्री जगदीश नाबालिग
20 वासुदेव पुत्र जगदीश नाबालिग 21 राहुल पुत्र जगदीश नाबालिग
(रेस्पो. सं. 18 से 21 सभी नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता रेस्पो. सं. 17 मुन्नी देवी बेवा जगदीश)
22 नर्मदा देवी पुत्री ताराचंद 23 मैना देवी पुत्री ताराचंद 24 दुर्गा देवी पुत्री ताराचंद
25 फुली देवी पुत्री ताराचंद
सभी जातियान ब्राह्मण निवासीगण रोहिणी तहसील व जिला नागौर।
26 गंगा देवी सरपंच ग्राम पंचायत रोहिणी पंचायत समिति नागौर।
27 रूकमा देवी पत्नी प्रेमरतन जाति ब्राह्मण निवासी रोहिणी तहसील व जिला नागौर।
28 तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री रामदेव निम्बड अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 2 व 4 की ओर से।
3. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6 से 7, 13 से 15, 24 व 25 की ओर से।
4. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 28 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 01.09.2025

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार नागौर, पटवार हल्का रोहिणी के प्रकरण सं. 0/12 मे धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे पारित आदेश दिनांक 10.12.2010 से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.07.2012 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स की अपील दिनांक 24.07.2012 को रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 02 व 4 की ओर से श्री रामदेव निम्बड अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 6 से 7, 13 से 15 तथा 24 व 25 की ओर से श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 28 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 3, 5, 8 से 11, 16 से 23 व 26 से 27 बावजूद सूचना के न्यायालय मे गैर हाजिर रहे है। रेस्पोडेंट संख्या 12 का निधन हो जाने से उनको प्रकरण से स्ट्राईक आउट किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के आदेश दिनांक 10.12.2010 के निर्णय की फोटोप्रति, ग्राम रोहिणी के नामान्तरकरण सं. 1143 की फोटोप्रति, ग्राम रोहिणी की जमाबंदी संवत 2065–69 की फोटोप्रति, ग्राम रोहिणी की जमाबंदी वर्ष 2006 की फोटोप्रति, ग्राम रोहिणी की जमाबंदी संवत् 2022 से 25, 2026 से 28, 2030 से 33, 2034 से 40, 2042 से 45, 2046 से 49, 2050 से 2053, 2054 से 57, 2058 से 61 की फोटोप्रति, ग्राम बीरमसर की जमाबंदी सवंत् 2025 से 28, 2029 से 32, 2033 से 36, 2041 से 44, 2045 से 48, 2049 से 52, 2053 से 56, 2057 से 60, 2061 से 64 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट सं. 6 से 7, 13 से 15, 24 व 25 ने इकरारनामा दिनांक 27.01.06 की फोटोप्रति, तर्कनामा दिनांक 18.06.12 की फोटोप्रति पेश की गई।

01/9/25

अपर कलक्टर, नागौर

{2}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने मियाद के बिन्दु पर बहस शुरू करते हुए तर्क दिया कि निर्णय जैर अपील दिनांक 10.12.10 को बंटवाडे की कोई जानकारी नहीं थी न ही बाद में दिनांक 16.07.12 से पूर्व कोई जानकारी हुई। अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलांट के माता व भाईयों के साथ छल कपट किया जाकर भूमि का मिलावटी व धोखे से बेचान करवा लेने एवं रिहायसी ढाणी में लूट होने का मुकदमा की चर्चा दिनांक 15.07.12 को होने पर अपीलांट ने तहसील नागौर में आकर नकले प्राप्त की व उनको पढाने से आदेश बंटवाडा जैर अपील की प्रथम बार जानकारी हुई, जिससे अपील अंदर मियाद शुमार योग्य है। वकील रेस्पोडेंट संख्या 6 से 7, 13 से 15, 24 व 25 ने मियाद के बिन्दु पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट्स ने अपील करीब 2 वर्ष पश्चात न्यायालय में पेश की तथा देरी का कोई उचित कारण भी नहीं बताया है जिससे अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट्स ने मियाद प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बंटवाडा, धारा 53 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत, बंटवाडा संबंधी नियमों के विपरीत, सभी पुत्र–पुत्रियों व उतराधिकारियों पक्षकार दर्ज किये बिना तथा सूचना एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना, पुश्तैनी भूमि होने अथवा नहीं होने की जांच के बिना, तथा पुत्रियों को भूमि में हिस्सा दिये बिना एवं छल कपट से विधि के विरूद्व पारित किया है जो निरस्तनीय है।

{2}(II)– अपीलांट स्व. नेनूराम के पुत्र अर्जुनराम की पुत्रियां है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम व हिन्दू उतराधिकार के संशोधित अधिनियम के अनुसार स्व. नेनूराम की व अर्जुनराम की पैतृक भूमि मे जन्म से हक खातेदारी प्राप्त कर चुकी है वैसे ही रेस्पोडेन्ट ताराचंद व स्व. भंवरलाल की पुत्रियां का विवादित भूमि मे हक अधिकार होते हुए भी उनको पक्षकार बनाये बिना व हिस्सा दिये बिना एवं सभी सह काश्तकारो को बराबर भूमि दिये बिना बंटवाडा की डिक्री करने मे त्रुटि की है।

{2}(III)– ग्राम रोहिणी मे सह काश्तकारी की भूमि कुल 165 बीघा 5 बिस्वा है तथा बिरमसर मे कुल 25 बीघा 2 बिस्वा जो कुल 190 बीघा एवं 7 बिस्वा भूमि है तथा विधि अनुसार तमाम भूमि का 1/3 भाग भंवरलाल व उनके उतराधिकारियो के हिस्से मे तथा 1/3 भाग अर्जुनलाल व उनके उतराधिकारियो तथा 1/3 भाग ताराचंद को बराबर देकर बंटवाडे मे उपजाऊ व बिना उपजाऊ भूमि के तुलनात्मक बंट किये जाकर बंटवाडा किया जाना अपेक्षित होते हुए भी तहसीलदार ने अर्जुनलाल के उतराधिकारियो को कम भूमि बंट मे रखी है तथा तमाम बंटवाडे की लिखा–पढी व लिखित व अलग–अलग बंट रेस्पोडेन्ट प्रेमरतन ने छल–कपट से करवाकर रेस्पोडेन्ट सरपंच को भी अंधेरे मे रखते हुए बिना सह खातेदारो को पक्षकार बनाये चुपके–चुपके गोपनीय रूप से निर्णय बंटवाडा किया है जो निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी Oct, 2006 पेज 626 से 630, आरआरडी 1999 पेज 327 से 329, आरआरडी 1975 पेज 52 से 53, आरआरडी 1978 पेज 482 से 484, आरआरडी 1999 पेज 420 से 422 नजीरे पेश की

{3}– रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 7, 13 से 15, 24 से 25 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स ने हक तर्कनामा द्वारा अपना हिस्सा तर्क कर दिया तथा यह घोषणा भी की कि उक्त आराजी मे वे भविष्य मे भी किसी भी प्रकार की हिस्सा–पांति नही लेगी। उक्त बंटवाडा सभी पक्षकारान की सहमति से किया जाने से अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे राज 2013(3) पेज 1048 से 1050, डीएनजे राज 2018(3) पेज 930 से 34, डीएनजे राज 2013(2) पेज 750 से 753, डीएनजे (एस.सी.) 2013 पेज 829 से 33 तक नजीरे पेश की।

01/9/25

अपर कलक्टर, नागौर

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार नागौर पटवार हल्का रोहिणी के प्रकरण सं. 0/12 मे धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे पारित आदेश दिनांक 10.12.2010 से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.07.2012 को प्रस्तुत की गई। उक्त प्रकरण में दस्तावेजो के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बंटवाडा के वक्त अपीलांट्स रेकर्डेड खातेदार नहीं थी और न ही बंटवाडे के वक्त अपीलांट्स ने तहसीलदार के समक्ष कोई आपति प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को सुना जाना संभव भी नहीं था तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि बंटवाडा के समय प्रत्येक रेकर्डेड खातेदारों की उपस्थिति होना व सहमति होना आवश्यक है, मौके पर विभाजन को लेकर नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है। जिस पर रेकर्डेड खातेदारान के अंगुष्ठ निशान, हस्ताक्षर व तहसीलदार से प्रमाणित है। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि बंटवाडा रेकर्डेड खातेदारों की सहमति से ही किया गया है। अपीलांट्स ने अपील पेश करने से पूर्व विवादित खेताय का अपने हिस्से की भूमि में से हक तर्क करने का एक हक तर्कनामा भी निष्पादित कर रखा है, जिस हकतर्कनामे पर अपीलांट्स के अगुष्ठ निशान है, जिसको नोटेरी पब्लिक, नागौर द्वारा तस्दीक कर रखा है। अपीलाट्स ने हकतर्कनामा में यह घोषणा की कि उक्त आराजी मे वे भविष्य मे किसी भी प्रकार की हिस्सा–पांति नही लेगे तथा भविष्य मे उक्त आराजी से संबधित कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे पेश नही करेगे, उक्त तर्कनामें को अपीलांट्स ने किसी सक्षम न्यायालय में चूनौती दी हो? ऐसा भी कोई दस्तावेज इस पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील विधि अनुसार ही पारित किया जाना प्रतीत होता है, जो किसी तरह हस्तक्षेप किये जाने योग्य नही है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हाने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/9/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर